माननीय राजस्व मंडल मध्य प्रदेश भोपाल

नि-2158-PBR/16

पुनरीक्षण याचिका क्र. /2016

मे. ग्लोबल को
द्वारा भागीदार जयदीप सिंह
आत्मज स्व. सरदार अवतार सिंह पता–32
नादिर कालोनी भोपाल .... पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

आलमगीर मो.खान आत्मज स्व.सिकंदर
मो. खान द्वारा मुख्तारआम सै. मोहम्मद अली
आत्मज वजीज उददीन नि–म.न.55 आलमगीर
महल लखेरापुरा भोपाल .... रेष्पांडेंट

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता प्र.क.. 203/अपील/11–12 मे श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी तह.हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांकित 28/5/16 सं क्षुब्ध एवं पीडित होकर निम्नलिखित तथ्यो एवं आधारो पर या पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि रेष्पाडेंट ने एक अपील माननीय अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकरी के समक्ष प्रस्तुत की थी जो दिनांक 6/2/13 को अनुपस्थिति में निरस्त हुई । उक्त अपील को पुर्नस्थापित करने हेतु रेष्पाडेंट ने माननीय अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकरी के समक्ष एक आवेदन धारा 35 भूराजस्व संहिता का पेश किै, या जिसे माननीय अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकरी द्वारा बिना पुनरीक्षणकर्ता को सुने ही दिनांक 29/5/13 कों स्वीकार कर पुनरीक्षणकर्ता को अपील की सूचना पत्र जारी किया । सूचना पत्र प्राप्त होने पर पुनरीक्षकर्ता अविलंब माननीय अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकरी के समक्ष उपस्थित होकर एक आवेदन अंतर्गत धारा 32 म.प्र.भूराजस्व संहिता प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पुनरीक्षणकर्ता को पहले रेष्पाडेंट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 35 भूराजस्व संहिता के आवेदन पर सुना जाय। माननीय अधीनस्थ अनुविभांगीय अधिकरी द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के उक्त आवेदन को दिनांक 28/5/16 को निरस्त किया गया जिसके विरूद्ध यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

मो० ... को ... 2017

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2158–पीबीआर/16 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–9–2016	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश दिनांक 28–5–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथमदृष्टया विधिसंगत है कि अनावेदक की अनुपस्थित में प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया था और अनावेदक की ओर से म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 35(3) के अन्तर्गत प्रस्तुत पुर्नस्थापन आवेदन पत्र दिनांक 10–12–2013 को स्वीकार किया जा चुका है एवं आवेदक उपस्थित हो चुका है । प्रकरण में अभी कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है, इसलिये बाद की कार्यवाही में अपना पक्ष रखने हेतु आवेदक स्वतंत्र है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित कर आवेदक द्वारा संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र अस्वीकार करने में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	